रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227647
CG-DL-E-16062021-227647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943
No. 330] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2021

सा.का.नि. 414(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक कमांडेंट(पायनियर), समूह 'क' के पद पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट(पायनियर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्द्व अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि**: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मैनुअल वाल्यूम III, चिकित्सा मैनुअल में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I में है, इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़ें वर्गो**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक कमांडेंट (पायनियर)	2*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10 (56100–177500 रू)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जानें वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा :– वेतन मैट्रिक्स(44900–142400रु0) में स्तर 7 के भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक(पायनियर) जो उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और विहित पूर्व–प्रोन्नति प्रशिक्षण या पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा किये हों।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) अपर–महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) उप–महानिरीक्षक(इंजीनियर), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (4) निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) अपर–महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) उप–महानिरीक्षक(इंजीनियर), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (4) निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. आईटीबीपी. I.12011/01/2019–संगठन]

पी. वेनुकुट्टन नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2021

G.S.R. 414(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant (Pioneer), Group 'A' post in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Pioneer), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.— No person,—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical fitness**.— Notwithstanding anything contained in these rules, those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force manual Volume-III. Medical manual shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Commandant (Pioneer)	2* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 10 (Rs. 56100 - 177500)	Selection Post.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
By promotion: From amongst Inspectors (Pioneer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-7 in the pay matrix(Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training/course.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion)consisting of:- (1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman; (2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member; (3) Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force. - Member; (4) Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)consisting of:- (1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman; (2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member; (3) Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force. - Member; (4) Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member.	Not applicable.

[F. No.ITBP.I.12011/01/2019-Org.]

P. VENUKUTTAN NAIR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.16 20:22:23 +05'30'